रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04092025-265976
SG-DL-E-04092025-265976

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 2025/भाद्र 12, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 208
No. 262] DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 2025/BHADRA 12, 1947 [N. C. T. D. No. 208

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग
(गृह रक्षक निदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2025

फा. सं. 1/15/2023–गृ.र./2582–गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–840 के साथ पठित भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा फील्ड क्लर्क, गृह रक्षक दिल्ली के पद हेतु भर्ती नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा गृह रक्षक महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में फील्ड क्लर्क के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (1) इन भर्ती नियमों को गृह रक्षक महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में फील्ड क्लर्क, भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग :–**ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :–**उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता :**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह सेवाएं विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

7. **बचाव:**— इन नियमों में किसी उल्लेख से भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	फील्ड क्लर्क
2.	**पदों की संख्या**	:	15*(2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ''ग'' अराजपत्रित/अलिपिकीय
4.	**पे बेंड तथा ग्रेड पे/वेतन स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2, (रुपये 19900–63200/–)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद**	:	गैर–चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण/ आमेलन किया जाना है**	:	**पदोन्नति :** ग्रेड में 03 वर्ष की नियमित सेवा सहित 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन बैंड/स्तर–1 (वेतन मैट्रिक्स में रुपये 18,000–56,900/–) में मूल संवर्ग में मल्टी–टास्किंग

			स्टाफ/बावर्ची/डिमॉन्स्ट्रेटर/धोबी/पाइप बैंड मैन एवं अन्य पदों में से तथा निम्नलिखित अनिवार्य योग्यता रखते हों:– 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण। 2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति। **टीप 1:** अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग परीक्षा में छूट भारत सरकार द्वारा इस मामले में समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी। **टीप 2:** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?** **समूह 'ग' से समूह 'घ' में पदोन्नति हेतु डीपीसी (पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ)**	:	**समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति (पदोन्नति के विचारार्थ)** 1. महानिदेशक, गृह रक्षक – अध्यक्ष 2. कमांडेट/कार्यालयाध्यक्ष (गृह रक्षक) –सदस्य 3. उप–सचिव (गृह विभाग) – सदस्य 4. उप–सचिव (सेवाएं विभाग) –सदस्य **टीप :–** यदि विभागीय पदोन्नति समिति/ विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

राखी सिंघल, उप सचिव

HOME DEPARTMENT

(Directorate of Home Guards)

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2025

F. No. 1/15/2023/HG/2582.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification GSR-840 dated. 13th July, 1959 and in supersession of the Recruitment Rules for the post of Field Clerk Home Guards Delhi, except as respective things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of Recruitment for the post of Field Clerk in the Directorate General of Home Guards, Government of National Capital Territory of Delhi.

1. Short title and commencement:-

i. These Recruitment Rules may be called the Field Clerk Recruitment Rules, 2025 in the Directorate General of Home Guards, Government of NCT of Delhi.

ii. They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Application:- These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of Posts, classification and level in pay matrix:- The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in Column No. (2) to (4) of the Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Column No. (5) to (13) of the said schedule.

5. Disqualification:- No person;

a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, Exempt any person from the operation of these Rules.

6. Power to relax:- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, in consultation with the Services Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi may relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving:- Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special Categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**No. of the Post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale**	**Whether Selection or Non Selection**	**Age limit for direct recruitment**	**Educational and other qualifications for direct recruitment**
1	2	3	4	5	6	7
Field Clerk	15*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C" Non-Gazetted/Non-Ministerial,	Level-2 (Rs.19,900-63,200) in the Pay Matrix.	Non-Selection	Not Applicable	Not Applicable

Whether age limit, educational qualifications prescribed for Direct recruitment will apply in case of promotes.	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment Whether by Direct recruitment or by promotion or by deputation /transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion/deputation/transfer/absorption grades from which promotion /deputation /transfer/absorption to be made**	**If a Departmental promotion committee exists what is its compo For promotion from Group 'C' to Group 'B' DPC (for considering promotion/confirmation)**	**Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment is consulted.**
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	100% by Promotion	**Promotion:** From amongst the Multi-Tasking Staff/Cook/Demonstrator/Dhobi/Pipe Band Man & Other posts in parent cadre in Pay Band/Level-1(Rs.18,000-56,900 in the Pay Matrix) as per	**Group 'C' DPC/DCC (for considering Promotion) :** 1. Director General Home Guards - **Chairperson** 2. Commandant/Head of Office (Home Guard)-**Member** 3. Deputy Secretary (Home Department)-**Member**	Not Applicable.

			7th CPC with 03 years regular service in the grade and possessing the following essential qualification:- 1. 10th Pass from recognized Board. 2. A typing speed of 35 wpm in English or 30 wpm in Hindi on computer. **Note 1:** Exemption from typing test for candidates shall be governed in terms of instructions issued by Government of India in the matter from time to time. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.	4. Deputy Secretary (Services Department)-**Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.	

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

RAKHI SINGHAL, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.04 22:26:14 +05'30'